

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)





डालूराम

बनाम

दिवाकर वगै०

किरम मुकदमा:- इजराय

मुकदमा नम्बर:- 28/2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुये
19.12.2022	<p>वकील डिक्रीदार श्री सरदार सिंह कुड़ी द्वितीय एड० ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावें। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2022 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 16.01.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">   <b>दिलीप सिंह</b>            सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)            श्रीमाधोपुर (सीकर)         </p>	
19.12.2024	<p>पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। प्रकरण में श्री सांवरमल यादव, भूअभिलेख निरीक्षक कार्यालय हाजा द्वारा अवगत कराया है कि प्रकरण में ऑनलाईन मिलान किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा जरिये नामान्तकरण संख्या 1829 दिनांक 30.12.2022 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुकी है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> <p>अतः इजराय पत्रावली को आगे नहीं चलाकर इसी स्तर पर खारिज की जाकर फैसल किय जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">   <b>( अनिल कुमार )</b>            सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)            श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)         </p>	<p>ऑनलाईन मिलान किया गया।            नं.सं. 1829            दि. 30.12.2022</p> <p>श्रीमाधोपुर</p> <p>  </p> <p>             31/12         </p>